अनुसूची 4 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

हेमलाल मंडल प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम बैजनाथ मंडल द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 10/22 सन् 2021

धारा 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29/01/22	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक द्वारा समर्पित किया गया याचिका के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भुमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होनें कि आशंका हैं एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामलें में टकराव को दुर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा – 144 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाई प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भुमि मौजा – बड़की सरिया, खाता नं0 – 200, 03 प्लॉट नं0 – 104, रकबा – 1.15 एकड मध्ये विवादित रकबा – 1. 02 एकड़, चौहदी उ0 – रास्ता, दं0 – टेकनारायण राम वो रोशन कुम्हार, पु0 – काली रविदास, पं0 – रास्ता के भुमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 3/2/22 को कारण–पृच्छा कि मॉग कि जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित । [signature] 29/1	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित to 17/02/22	
17/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित to 24/02/22	
24/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा दाखिल to ~~23/02/22~~ 28/02/22	
28/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। उभय पक्ष को सुना। आदेश्य। to 03/03/22 28	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03/03/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदक (प्रथम पक्ष) के अनुसार मौजा - बड़की सरिया, थाना- सरिया में स्थित खाता - 200 के प्लाट सं० - 104 कुल रकबा 1.15 एकड़ माहये 1.02 एकड़ प्रथम पक्ष के पिता एवं चाचा को बजरिये हुकमनामा से हासिल है। हुकमनामा से हासिल होने के बाद से ही प्रथम पक्ष के पिता वो चाचा तथा प्रथम पक्ष के पिता वो चाचा के फौत करने के बाद प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर शांतिपूर्वक कायम काबिज दखलकार होते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण जबरन प्रस्तुत भूमि पर मकान बनाना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में गैर निबंधित हुकमनामा की छायाप्रति, फर्द अमीन रिपोर्ट की छायाप्रति जमींदारी रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के द्वारा विस्तृत कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि का हुकमनामा प्रथम पक्ष के चाचा व पिता को हासिल है तथा नारायण महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है। प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि विशेष पर वाद नहीं लाया गया है खाता 200 एवं 3 के अंतर्गत प्लाट सं० 104 पर निषेधाज्ञा का आवेदन दिया गया है जबकि दोनो खाता की अलग-अलग भूमि का उल्लेख नहीं है। द्वितीय पक्ष खाता-3, प्लाट-104, रकबा-1.02 एकड़ भूमि पर काबिज है जो बकाश्त खाते की भूमि है। द्वितीय पक्ष को बजरिये केवाला सं०-2179 दिनांक-24/02/1981 से खरीदगी हासिल है। खरीदगी केवाला के पश्चात् द्वितीय पक्ष के नाम जमाबंदी कायम होकर रसीद कटती आ रही है। लगान रसीद अद्यतन निर्गत है। द्वितीय पक्ष के रैयत यशोदा देवी पति स्व० देवकुमार मंडल के द्वारा दिनांक 09/02/22 को सामान्य अधिकार पत्र संतोष कुमार,	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अनुराग कुमार, विकास कुमार मंडल, सुनील मोदी एवं दीपक कुमार के नाम से रेखमाल एवं विक्रय हेतु निष्पादित किया गया। प्रधान पक्ष के पास खाता सं०- 03, प्लाट- 104, रकबा 1.02 एकड़ का किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। द्वितीय पक्ष वर्ष 1981 के खरीदगी के पश्चात लगभग 41 वर्षों से कायम-काबिज हैं। अतः प्रधान पक्ष द्वारा वाद लाया जाना उचित नहीं है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में नामांतरण वाद सं० 163/11-12 के आदेश फलक की छाया प्रति, सामान्य अधिकार पत्र की छाया प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 24/02/81 की छाया प्रति, अंचल अधिकारी ~~[illegible]~~ सरिया द्वारा निर्गत LPC की छाया प्रति, नगर पंचायत बड़की सरिया द्वारा निर्गत सम्पत्ति कर की रसीद की छाया प्रति, ऑन लाईन पंजी-II की छाया प्रति, ऑन लाईन लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, घरैया बेरवारा की वंशावली, छाया प्रति दाखिल किया गया।	

(6)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया साथ ही उभय पक्ष की दलील को सुना। प्रश्नगत भूमि गैर पंजीकृत कि॰ हुकमनामा के माध्यम से नारायण मुंडी, गुलाब मुंडी मितलाल मुंडी को हासिल है। हुकमनामा प्राप्ति के पश्चात घरैया बेरबारा द्वारा वर्ष 1978 में मितलाल मुंडी के नाम कर दिया गया। इस ~~सम्बन्ध~~ सम्बन्ध लिखित दस्तावेज द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के समर्थन/पक्ष में नामांतरण वर्ष 2012 में किया गया है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष अपना दावा को सम्पुष्ट करने में सफल हुये है। अतः उक्त विवेचन के आलोक में प्रथम पक्ष के विरुद्ध नियमन को निरस्त किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के हित में रैयत घोषित किया जाता है। यह आदेश [illegible] करने की तिथि से दो महीने के लिये प्रभावी होगा। वाद की कार्यवाई को समाप्त किया जाता है। अ॰ [signature] SDM Bagodar	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.03.09 16:18:25 +05:30
Location: 192.168.1.10